झारखंड कैबनिट में 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबनिट की बैठक हुई, जसिमें राज्य के पंचायत जनप्रतनिधियिों के वभिन्नि भत्तों में बढ़ोतरी की स्वीकृत दिने के साथ कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

प्रमुख बदि

- कैबनिट की बैठक में पंचायत जनप्रतनिधियिों के मानदेय बढ़ाए जाने पर स्वीकृत दिने के बाद अब ज़िला परषिद् अध्यक्ष को 2 हज़ार रुपए, प्रमुख को आठ हज़ार और मुखयिा को ढ़ाई हज़ार रुपए हर महीने मलिंगे। इनके दैनकि भत्तों को भी बढ़ाकर हर पद के लयि 150 रुपए से 250 रुपए कर दी गई है।
- एसटी, एससी, अत्यंत पछिड़ा वर्ग तथा अन्य वर्ग की महलिा प्रतनिधियिों, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें वशिषि मानदेय 100 की जगह 150 रुपए मलिंगे। यात्रा भत्ता में भी संशोधन कयिा गया है। सभी को अब पाँच रुपए प्रतकिमिी. की जगह 10 रुपए प्रतकिमिी. की दर से यात्रा भत्ता मलिगा।
- मंत्रपिरषिद् ने राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान को क्षत पहुँचाए जाने पर मलिने वाली मुआवजा की राशमिं वृद्धकी है। इस तरह की घटनाओं में मनुष्य की मृत्यु होने पर पहले की तरह चार लाख रुपए ही मलिंगे।
- वहीं मनुष्य के गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख की जगह 4.50 लाख, हल्का घायल होने पर 15 हज़ार की जगह 25 हज़ार रुपए, स्थायी रूप से अपंग होने पर दो लाख रुपए की जगह 3.25 लाख रुपए दयि जाएंगे। मकान को क्षत होने पर पहले एक लाख रुपए मलिते थे, इसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए कर दयिा गया है।
- कैबनिट के अन्य महत्त्वपूर्ण फैसले:
  - झारखंड राज्य पुलसि अवर नरीक्षक नयिुक्त नियिमावली 2016 में संशोधन।
  - झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग नयिमावली 2023 का गठन।
  - गरिडिीह ज़िला के बगोदर सरयिा अनुमंडल न्यायालय गठन की स्वीकृत।
  - वत्तिीय वर्ष 2021-22 के लयि महालेखाकार का राज्य वत्ति लेखा प्रतवेदन उपस्थापन का अनुमोदन।
  - सी.वी. रमण ग्लोबल व.वि. की स्थापना का अनुमोदन।
  - राज्य के स्कूली एवं राजकीय और अराजकीय पुस्तकालय की स्थापना वकिस एवं वस्तिारीकरण को मंजूरी।
  - झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नयिमावली-2013 में संशोधन।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-cabinet-approved-39-proposals